भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

सं.464/अनुदेश/2016/ई पी एस तारीख : 12 मार्च, 2016

सेवा में,

सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : विकलांग व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान किए जाने के बारे में

मुझे आपका ध्यान विकलांग व्यक्तियों को सुवधिाएं प्रदान किए जाने के बारे में आयोग के तारीख 21.04.2004,20.10.2005 एवं 26.10.2007 के पत्र सं. 509/110/2004-जेएस.। तथा तारीख 15 फरवरी, 2016 के पत्र सं. 464/निदेश/2016-ई पी एस की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है।

लोकतंत्र की बेहतर कार्य प्रणाली के लिए प्रत्येक निर्वाचक महत्वपूर्ण है और उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए। निर्वाचन विधियां न केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए समानता की गारंटी देती हैं बल्कि निर्वाचन प्रक्रिया तक उनकी पहुंच और सहभागिता को सुकर करने के लिए भी उपबंध करती हैं।

आयोग ने आगे निम्नलिखित निदेशों के कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लिया है, जिनका सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समान रूप से पालन किया जाना होगा :-

क. विकलांग व्यक्तियों की पहचान

1. जनगणना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला और बाल विकास विभाग और समग्र योजना की मदद से प्रत्येक राज्य द्वारा प्रारंभिक आंकड़ा संग्रह किया जाएगा।
2. विकलांग व्यक्तियों के लिए मूल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए यथापेक्षित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा/ नोडल अधिकारियों के रूप में ड्यूटी सौंपी जाएगी।
3. 18 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग व्यक्तियों की मतदान केंद्र-वार सूची, जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/बूथ लेवल अधिकारी स्तर पर उपर्युक्त विभागों से संग्रह किए गए आंकड़े के आधार पर तैयार की जाएगी।

ख. निर्वाचक नामावली

1. विकलांगता के प्रकार को दर्शाते हुए विकलांग व्यक्तियों की पृथक मतदान केंद्र-वार सूची मतदाता सूची, से तैयार की जाएगी।
2. संबंधित विभागों से विकलांग व्यक्तियों के बारे में सूचना प्राप्त करने के बाद, निर्वाचक नामावली में सूचीबद्ध नहीं हुए पात्र विकलांग व्यक्तियों के नामों को सम्मिलित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
3. विकलांग व्यक्तियों को मतदान केंद्रों, मतदाता सहायता केंद्रों, जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, रिटर्निंग आफिसर आदि के कार्यालय में सुविधाएं प्राप्त करने में अधिमान दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकलांग व्यक्तियों को कतार में प्रतीक्षा न करनी पड़े, सभी संभव प्रयास किए जाएंगे।
4. प्ररूप 6, 7, 8 एवं 8क को भरने के कार्य को सुकर करने के लिए उपर्युक्त सहायता केंद्रों में पर्याप्त अनुदेश दिए जाएंगे।

ग. स्वीप

1. प्रत्येक जिले के लिए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र-वार एक अधिकारी पदाभिहित/नियुक्त किया जाएगा। ऐसे अधिकारियों को विकलांगों की सुविधाओं के उपबन्ध के बारे में प्रशिक्षित करना होगा।
2. विभिन्न साधनों के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाएगा। संबंधित राज्यों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में सरल भाषा, सांकेतिक भाषा और ब्रेल का प्रयोग करके विशेष मूल प्रचार सामग्री तैयार की जाएगी।

3. विकलांग व्यक्तियों को शिक्षित एवं अभिप्रेरित करने के लिए विभिन्न मीडिया के माध्यम से विशेष/सचल शिविर आयोजित किए जाएंगे।
4. विकलांग व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने और उनके बीच निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए छात्र संगठनों यथा एन सी सी, एन एस एस, एन वाई के आदि के स्वयंसेवियों को तैयार करने के प्रयास किए जाएंगे।
5. सी एस सी/एम एस के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में प्रचार का संवर्धन किया जाएगा।
6. सुप्रसिद्ध विकलांग व्यक्तियों को जिला कैम्पस एम्बेसेडरों एवं जिला/राज्य-आइकॉन के रूप में नियुक्त करने के प्रयास किए जाएंगे।

घ. एन जी ओ/सी एस ओ/डी पी ओ/आर डब्ल्यू ए की भागीदारी

1. विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे समुदाय आधारित संगठन (सी एस ओ), विकलांग व्यक्ति के संगठन (डी पी ओ) और रेजिडेंट वेल्फेयर एसोसिएशनों आदि को गैर-राजनैतिक, गैर-दलीय पद्धति से विकलांग व्यक्तियों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में सूचना प्रदान करने हेतु सहायता प्रदान करने के लिए अभिप्रेरित किया जाएगा। विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए इन संगठनों से सहायता प्राप्त की जाएगी।
2. विकलांग व्यक्तियों को अभिप्रेरित करने और उनके बीच जागरूकता पैदा करने के लिए केवल गैर-राजनैतिक और गैर-दलील संगठनों पर ही विचार किया जाना चाहिए।

ड. प्रणाली सुग्राहीकरण एवं प्रशिक्षण

1. विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास करने हेतु निर्वाचन तंत्र को सुग्राही बनाने हेतु विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे।
2. निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों आदि को विकलांग व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के बारे में स्पष्ट रूप से अनुदेश दिया जाना चाहिए।
3. सांकेतिक भाषा और ब्रेल में अर्हक अनुदेशकों को प्रशिक्षण प्रयोजनों के लिए नियुक्त किया जाएगा।
4. निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में बुनियादी सूचना ब्रेल लिपि में तैयार की जाएगी और प्रदर्शित की जाएगी (हिंदी, अंग्रेजी या प्रचलित क्षेत्रीय भाषा में)।
5. विकलांग व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में योगदान – मतदाता सहायता केंद्रों में कार्य करके, बूथ लेवल अधिकारियों के रूप में कार्य करके, मतदान क्षेत्र में कार्य करके निर्वाचन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करने के इच्छुक विकलांग व्यक्तियों को ऐसा कार्य सौंपा जाना चाहिए ताकि वे अन्य विकलांग व्यक्तियों को निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अभिप्रेरित कर सकें।

च. विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग

1. प्रत्येक मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट को प्रयोक्ता हितैषी बनाया जाएगा और इसे विकलांग व्यक्तियों के लिए सुगम्य बनाया जाएगा।
2. दृष्टि बाधित मतदाताओं को सूचना यथा, रजिस्ट्रीकरण की स्थिति, मतदान केंद्र संख्या, मतदान केंद्र का नाम, मतदाता सूची में क्रम सं., निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें विकलांग व्यक्ति का नाम दर्ज है, मतदाता पहचान पत्र संख्या (ई पी आई सी), मतदान अनुसूची अधिसूचित करने के लिए वॉयस एस एम एस की सुविधा प्रदान की जाएगी।
   टिप्पणी : विकलांग व्यक्तियों का आंकड़ा वेबसाइट पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा और इसे साझा नहीं किया जाएगा ताकि उनकी निजता बनी रहे।

छ. विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष अनन्य मतदान केंद्र

1. ऐसे स्थानों/क्षेत्रों/संस्थानों, जहां विकलांग व्यक्ति बड़ी संख्या में रहते हैं, में विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, जिला निर्वाचन अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसमर्थन से विशेष मतदान केंद्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।

ज. मतदान केंद्रों में वास्तविक पहुंच एवं सुविधाओं में सुधार करना

1. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदान केंद्र भू-तल पर स्थित हो, यदि नहीं, तो प्रत्येक तल के लिए लिफ्ट की सुवधि प्रदान की जाएगी/रैम्प का विस्तार किया जाएगा।
2. रैम्पों का एक मानक एवं एकरूप डिजाइन कार्यान्वित किया जाएगा।

3. जहां कहीं स्थायी रैम्प की सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती है, वहां अस्थायी/सचल रैम्प उपलब्ध कराए जाएंगे।
4. बालू एवं कीचड़ वाले रास्ते के स्थानों में रैम्प की सुविधा को सुचारू किया जाएगा।
5. रैम्प ऐसी रीति में प्रदान किए जाएंगे कि वे सीधे मतदान केंद्र के दरवाजे तक पहुंच जाए ताकि बरामदों से होकर जाने से बचा जा सके।
6. स्थानीय प्राधिकारियों/संबंधित विभागों द्वारा मतदान केंद्रों तक समुचित अप्रोच सड़कों को सुनिश्चित किया जाएगा।
7. प्रत्येक मतदान केंद्र के दरवाजों के सामने सचल बैरीकेड लगाए जाएंगे।
8. मतदान केंद्र का प्रवेश द्वार बड़ा एवं खुला होगा और व्हीलचेयर के संचलन के लिए मतदान कोष्ठ के आसपास पर्याप्त स्थान प्रदान किया जाना चाहिए।
9. जहां कहीं संभव हो, विकलांग व्यक्तियों के लिए पृथक प्रवेश हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
10. मतदान केंद्रों के रास्ते में मानक साइनेज के साथ संकेतक होंगे।
11. किसी मतदान केंद्र में निर्वाचकों में विकलांग व्यक्तियों की संख्या के आधार पर सुविधाएं यथा, रैम्प, ट्राइसाईकिल, श्रव्य-दृश्य के माध्यम से मूल सूचना, उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इन सुवधिाओं को आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रेक्षक द्वारा वास्तविक रूप से सत्यापित एवं प्रमाणित किया जाना चाहिए।
12. चिह्नित मतदान केंद्रों में व्हीलचेयर्स प्रदान किए जाएंगे।
13. विकलांग व्यक्तियों को समुचित प्रवेश पास जारी किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकलांग व्यक्तियों को कतार में प्रतीक्षा न करनी पड़े, सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिए।

झ. राजनैतिक दलों का सहयोग

1. राजनैतिक दलों को विकलांग व्यक्तियों की अपेक्षा के अनुसार श्रव्य-दृश्य और ब्रेल तथा संकेत भाषा में प्रचार सामग्री, घोषणा-पत्र, अपील आदि प्रदर्शित करने के लिए भी अभिप्रेरित किया जाएगा।

ञ. सांख्यिकीय आंकड़ा

1. सांख्यिकीय आंकड़े में विकलांग व्यक्तियों से संबंधित आंकड़े का समावेश किया जाना चाहिए।

कृपया सुनिश्चित करें कि दिए गए अनुदेशों का अक्षरशः पालन किया जाए।

कृपया पत्र की पावती शीघ्र भेजें और उपर्युक्त अपेक्षित कार्रवाई की यथाशीघ्र पुष्टि भी करें।

भवदीय

(सुमित मुखर्जी)
सचिव